



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड-249404

सं०: 72 / 04(vii) / डी0आर0 / वि0नि0नि0प0 / सेवा-03 / 2022-23

दिनांक: 02 / 01 / 2024

कार्यालय ज्ञाप

सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा- 2023 के सापेक्ष ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) एवं अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा रेशम विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के रिक्त 02 पदों एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न निकायों में पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त 53 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किये जाने हेतु सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023 का विज्ञापन संख्या: A-2/DR/S-3/2023-24 दिनांक 10 जुलाई, 2023 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के क्रम में दिनांक 19 नवम्बर, 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या-256 / 19 / सह.पर्य-पर्या.पर्य / G-2/2023-24 दिनांक 01 जनवरी, 2024 द्वारा अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) निर्गत की गयी है। अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 11 जनवरी, 2024 को परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में किया जाना निर्धारित है।

02- उक्त अभिलेख सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरे जाने हेतु ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 02 जनवरी, 2024 से 11 जनवरी, 2024 तक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक 02 जनवरी, 2024 से उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए अभिलेख सत्यापन से पूर्व पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट की प्रति डाउनलोड करते हुए अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

03- अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम तिथि को ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चैकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदशिका-2022 के आलोक में किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित अर्ह अभ्यर्थियों में से उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 (यथा संशोधन) में विहित प्राविधानानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

04- अभिलेख सत्यापन सूची (Documents Verification List) में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान एवं सन्निरीक्षा का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 11 जनवरी, 2024 को निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है-

अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम

दिनांक: 11 जनवरी, 2024, प्रथम सत्र (प्रातः 09:30 बजे से)

100688	101330	101420	101518	101690	102408	102457	102771
102782	103224	103890	104724	105031	105069	105098	105336
105747	106029	106048	106344	106999	107093	107261	107280
107599	107614	107834	107988	108172	108269	108973	110633
110782	110968	111386	111417	111717	112590	112797	112832
112900	112934	113327	113537	113655	113793	113933	114389
114809	114831	114892	115198	115666	115837	116019	TOTAL- 55

दिनांक: 11 जनवरी, 2024, द्वितीय सत्र (अपराह्न 01:30 बजे से)

116134	116712	117355	117590	119462	121109	121320	122384
122507	123548	123686	123838	124577	124674	124731	125406
125975	125981	126048	126331	126990	127287	127395	127807
128731	129080	129186	129537	129827	130566	130691	131041
132655	133332	133386	133706	134596	134867	135864	136653
136805	137008	137189	137190	138511	139857	140357	141284
141524	141924	142465	142811	143611	143806	143833	TOTAL- 55

नोट— अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच का कार्य, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में प्रथम सत्र प्रातः 09:30 बजे से तथा द्वितीय सत्र अपराह्न 01:30 बजे से प्रारम्भ होगा। अभ्यर्थी प्रथम सत्र हेतु प्रातः 9:00 बजे तथा द्वितीय सत्र हेतु अपराह्न 01:00 बजे तक परीक्षा भवन में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रमानुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में पृथक से डाक अथवा अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

05— अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु कार्यालय ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से 02 सैट में भरते हुए नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे—

- (क) चैकलिस्ट (Check List)
- (ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) (अनुक्रमांक सहित)।
- (ग) ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र (Online Preference Form)।
- (घ) विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)।
- (ङ) प्रमाणीकरण-पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)।
- (च) देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)।
- (छ) नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा पत्र।

06— अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गये दावे के सापेक्ष उपरोक्त बिन्दु-05 में उल्लिखित प्रपत्रों के साथ ही निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति (02 प्रतियों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें:—

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)।
- 4) आरक्षण एवं मूल/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।

- 5) विज्ञापन के बिन्दु सं0-06 में उल्लिखित प्राविधानानुसार धारित वांछनीय अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र/अभिलेख।
- 6) यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 7) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र।
- 8) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (**Affidavit**) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
- 9) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-2/DR/S-3/2023-24 दिनांक 10 जुलाई, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पदों के सापेक्ष (लेवल-2 एवं लेवल-3) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (**Salary Slip**) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड-पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 10) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अंक-तालिकाओं के साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र (**Certificate**) प्रस्तुत करना होगा।
- 11) पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।

07- यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

08- आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।